

**मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
ई-5 पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, भोपाल**

कमांक

/स्था/प्रनिबो/2016

भोपाल, दिनांक

-: कार्यालय आदेश :-

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) 1974 की धारा 12(2) में अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदत्त निम्नलिखित शक्तियाँ आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी आदेश तक सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रत्यायोजित की जाती हैं :-

- 1 प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के यात्रा/देयकों पर निर्णय ।
- 2 ग्रेच्युटी राशि का भुगतान ।
- 3 सीपीएफ राशि एवं बोर्ड के अंशदान का भुगतान ।
- 4 बोर्ड के एक कार्यालय के बैंक खाते से दूसरे कार्यालय के बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण ।

निर्णय दिनांक से संबंधित प्रकरणों पर निर्णय सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्तर से लिये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा आदेशित

(निशा मिश्रा)
प्रशासकीय अधिकारी

पृ०कमांक 108 /स्था/प्रनिबो/2016

भोपाल, दिनांक 7 JAN 2016

प्रतिलिपि :-

- 1 निज सचिव, अध्यक्ष, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
- 2 निज सचिव, सदस्य सचिव, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
- 3 शाखा प्रभारी, (वित्त) मुख्यालय म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 4 आईटी शाखा/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ति।

(निशा मिश्रा)
प्रशासकीय अधिकारी